

डिकी मुकदमा इक्दादाई  
(ओ 20 रूल 6-7 जाब्बा दीवानी)  
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम  
बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस  
उनवान

1. राजपाल पुत्र ठाकुरिया (मृतक)
    - 1/1 लालचंद पुत्र राजपाल
    - 1/2 रामचरण पुत्र राजपाल
    - 1/3 लोहडेराम पुत्र राजपाल
    - 1/4 उमेदी पुत्री राजपाल
- समस्त जाति मीना निवासी पाडलीखुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीगण

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र हरला (मृतक)
  - 1/1 श्रीमन पुत्र रामजीलाल
  - 1/2 रत्तीराम पुत्र रामजीलाल
  - 1/3 भगवान सहाय पुत्र रामजीलाल
  - 1/4 इन्दर बाई पुत्री रामजीलाल
  - 1/5 मूली देवी बेवा रामजीलाल
2. माधो पुत्र गुटेरी
3. दयाराम पुत्र गुटेरी
4. प्यारेलाल पुत्र गुटेरी
5. रामप्रसाद पुत्र मिश्रा
6. हुकमो पुत्र मिश्रा
7. हल्लू पुत्र मिश्रा
8. लखन पुत्र मिश्रा
9. मनको पत्नि मिश्रा
10. झूमा बेवा भौरया (मृतक)
11. रत्तोराम पुत्र भौरया
12. गंगासहाय पुत्र भौरया
13. भरतलाल पुत्र भौरया
14. चतरसिंह पुत्र भौरया
15. बाबूलाल पुत्र भौरया (मृतक)
  - 15/1 उदय पुत्र बाबूलाल
  - 15/2 लक्ष्मी पुत्री बाबूलाल
  - 15/3 शीलाल बेवा बाबूलाल
16. सीताराम पुत्र भौरया  
समस्त जातियान मीना निवासीयान पाडली खुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली।
17. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।


प्रतिवादी गण

दावा बावत डिविजन ऑफ होल्डिंग

मु0न0 15/2007


यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट, मिनकानिब गुदई रुबरू, ..... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है। कि

अतः ग्राम पाडली खुर्द स्थित आराजी ख0न0 165/0.11, 315/0.03, 493/626/0.18, 488/0.23, 503/0.34, 504/0.25, 505/0.40, 518/0.18, 523/0.21,


  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)

561/0.10, 581/0.19, 582/0.90, 79/0.43, 516/0.47, 525/0.35, 562/0.73 कुल किता 16 कुल रकवा 5.10 है0 मे वादी राजपाल पुत्र ठाकुरिया (मृतक) जाति मीना निवासी पाडली खुर्द के विधिक वारिसान वादीगण लालचन्द, रामचरण, लोहडेराम, पि0 राजपाल, उम्मेदी पुत्री राजपाल जातियान मीना निवासीयान पाडली खुर्द को हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राहिन बी.ओ.बी. शाखा करीरी का अंकन बदस्तूर जमाबन्दी मे रहेगा। शेष सहखातेदारान का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगा। नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शुद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....



बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15.01.2020 को जारी की

  
दस्तखत.....उपजिला कलेक्टर  
ओहदा.....टोडाभीम (करीली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			वावत इजराय हुक्मनामा		
वावत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 15/17

तारीख रजु:- 12.02.2007

पीठासीन अधिकारी:- दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. राजपाल पुत्र ठाकुरिया (मृतक)

1/1 लालचंद पुत्र राजपाल

1/2 रामचरण पुत्र राजपाल

1/3 लोहडेराम पुत्र राजपाल

1/4 उमेदी पुत्री राजपाल

समस्त जाति मीना निवासी पाडलीखुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली।

वादीगण

बनाम

रामजीलाल पुत्र हरला (मृतक)

1 श्रीमन पुत्र रामजीलाल

2 रत्तीराम पुत्र रामजीलाल

3 भगवान सहाय पुत्र रामजीलाल

4 इन्दर बाई पुत्री रामजीलाल

1/5 मूली देवी बेवा रामजीलाल

2. माधो पुत्र गुटेरी

3. दयाराम पुत्र गुटेरी

4. प्यारेलाल पुत्र गुटेरी

5. रामप्रसाद पुत्र मिश्रा

6. हुकमो पुत्र मिश्रा

7. हल्लू पुत्र मिश्रा

8. लखन पुत्र मिश्रा

9. मनको पत्नि मिश्रा

10. झूमा बेवा भौरया (मृतक)

11. रत्तोराम पुत्र भौरया

12. गंगासहाय पुत्र भौरया

13. भरतलाल पुत्र भौरया


14. चतरसिंह पुत्र भौरया

15. बाबूलाल पुत्र भौरया (मृतक)

15/1 उदय पुत्र बाबूलाल

15/2 लक्ष्मी पुत्री बाबूलाल



  
उपजिला कलक्टर  
टोडाभीम (करौली)

15/3 शीलाल बेवा बाबूलाल

16. सीताराम पुत्र भौरया

समस्त जातियान मीना निवासीयान पाडली खुर्द तहसील टोडाभीम जिला करौली।

17. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी गण

दावा बावत डिविजन ऑफ होल्डिंग

उपस्थिति :- 1. श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (वादीगण)

निर्णय


दिनांक:- 15.01.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पाडली खुर्द स्थित आराजी ख0न0 79/1.72, 516/0.47, 517/30, 518/0.74, 519/0.23, 520/0.50, 521/0.33, 522/0.47, 523/0.21, 524/0.29, 525/0.35, 526/0.06, 527/0.10, 528/0.43, 529/0.11, 561/0.41, 562/0.73, 564/1.13, 565/0.19, 581/0.19, 582/4.42, कुल किता 21 कुल रकवा 13.38 है0 मे वादीगण 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। शेष हिस्से के प्रतिवादीगण सहखातेदार है। जिसका विधिवत बटवारा कराने हेतु यह दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण जरिये वकील उपस्थित होकर काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि हिस्सानुसार हमारा भी खाता अलग कर दिया जावे।

प्रतिवादी गण की ओर से जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस प्रकार पेश किया है कि ग्राम पाडली खुर्द स्थित भूमि ख0न0 79/591/0.05, 129/0.04, 165/0.11, 168/0.06, 170/0.02, 315/0.09, 327/0.04, 328/0.01, 329/0.02, 452/0.05, 453/0.04, 454/0.20, 476/0.09, 487/0.03, 488/0.23, 489/0.09, 490/0.51, 491/625/0.13, 493/626/0.18, 503/0.34, 504/0.25, 505/0.40, 508/0.01, 509/0.16, 518/0.74, 519/0.23, 520/0.50, 523/0.21, 561/0.41, 571/620/0.08, 581/0.19, 582/4.42, कुल किता 32 कुल रकवा 9.93 हैक्टेयर एवं आराजी ख0न0 79/1.72, 472/0.77, 473/0.59, 474/0.18, 494/0.35, 495/0.56, 496/0.33, 497/0.26, 498/0.04, 512/0.04, 513/0.22, 514/0.44, 516/0.47, 517/0.30, 521/0.33, 522/0.47, 524/0.29, 525/0.35, 526/0.06, 527/0.10, 528/0.43, 529/0.11, 562/0.73, 564/1.43, 565/0.19 कुल किता 25 कुल रकवा 10.46 हैक्टेयर की दर्ज खातेदारी हिस्सेनुसार हमारा बटवारा किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे।

वकील उभयपक्ष की सहमति पर दावा वादी मय काउन्टर क्लेम प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा स्कीम प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये।

दिनांक 8.02.2017 को प्रतिवादीगण एवं उनके वकील मे से किसी के भी उपस्थित नही होने के कारण उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

  
उपजिला कलक्टर

तहसीलदार टोडाभीम द्वारा बटवारा स्कीम प्रस्तुत की गई जिसमें अंकन किया गया कि प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये, एवं उनसे सम्पर्क करने पर प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से का बटवारा नहीं कराने का कथन किया इस कारण वादीगण का हिस्सा अलग कर बटवारा स्कीम पेश की जा रही है। प्रस्तुत बटवारा स्कीम पर अवलोकन कर मुताबिक प्राथमिक डिक्री दिनांक 7.6.18 के अनुरूप बटवारा स्कीम प्रस्तुत करने के निर्देश तहसीलदार टोडाभीम को दिये गये।

तहसीलदार टोडाभीम द्वारा पुनः वादी के हिस्से की बटवारा स्कीम प्रस्तुत की तथा यह भी अंकन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा अपने हिस्से की आराजी का तकास्मा नहीं कराना चाहते हैं अपनी आराजी को शामिल में ही रखना चाहते हैं। इस कारण से वादीगण के हिस्से की भूमि की बटवारा स्कीम प्रस्तुत की जा रही है। इस बटवारा स्कीम पर प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से का बटवारा नहीं कराने की सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये हैं।


बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर बटवारा स्कीम के अनुसार वादी का दावा डिक्री करने का कथन किया।

वादी वकील की बहस सुनकर बटवारा स्कीम एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राथमिक डिक्री दिनांक 7.6.18 के अनुसार वादीगण एवं काउन्टर क्लेमकर्ताओं का जमाबन्दी में दर्ज हिस्सानुसार अलग-अलग खाता कायम करने के आदेश पारित हुये हैं किन्तु प्रतिवादीगण काउन्टर क्लेमकर्ताओं ने अपना हिस्से का अलग खाता कायम नहीं कराने के स्वरूप बटवारा स्कीम पर अपने हस्ताक्षर किये हैं। अर्थात् काउन्टरक्लेमकर्तागण अपने हिस्से की आराजी को शामिल में ही रखना चाहते हैं। इसलिये बटवारा स्कीम अनुसार वादीगण का हिस्सा अलग कायम कराने हेतु वादीगण का दावा बावत तकास्मा डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम पाडली खुर्द स्थित आराजी ख0न0 165/0.11, 315/0.03, 493/626/0.18, 488/0.23, 503/0.34, 504/0.25, 505/0.40, 518/0.18, 523/0.21, 561/0.10, 581/0.19, 582/0.90, 79/0.43, 516/0.47, 525/0.35, 562/0.73 कुल कित्ता 16 कुल रकवा 5.10 है0 मे वादी राजपाल पुत्र ठाकुरिया (मृतक) जाति मीना निवासी पाडली खुर्द के विधिक वारिसान वादीगण लालचन्द, रामचरण, लोहडेराम, पि0 राजपाल, उम्मेदी पुत्री राजपाल जातियान मीना निवासीयान पाडली खुर्द को हि.ब. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राहिन बी.ओ.बी. शाखा करीरी का अंकन बदस्तूर जमाबन्दी में रहेगा। शेष सहखातेदारान का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी बदस्तूर रहेगा। चर्चा देस निर्णय के साथ सलग्न रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 15.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया।

  
(दुर्गा प्रसाद मीना)  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)  
टोडाभीम जिला करौली

